/

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 08/2022

GCMS Case No. 2022/43

सायल :– बनाम गैरसायल:–

सरकार

दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति रावत, निवासी खोडिया थाना बगड़ीनगर, जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली

गैर सायल एवं गैर सायल अधिवक्ता हीरालाल परिहार उपस्थित।

:: **निर्णय** ::

दिनांक :– 09.05.22

सायल की ओर से दिनांक 15.03.2022 को गैरसायल दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति रावत, निवासी खोडिया थाना बगड़ीनगर, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना बगड़ीनगर जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2020 में कुल 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें गैर सायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मु0न0	धारा	फैसला दिनांक	निर्णय
1	79/20	19/54 राज. आबकारी अधिकारी	21-10-2020	माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 2 वर्ष सदाचार व परिशान्ति हेतु पाबन्द किया गया।
2	197/20	19/54 राज. आबकारी अधिकारी	23-12-2020	माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 1 वर्ष सदाचार व परिशान्ति हेतु पाबन्द किया गया।

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति रावत, निवासी खोडिया थाना बगड़ीनगर, जिला पाली अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना बगड़ीनगर, जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल अधिवक्ता ने वक्त बहस जवाब पेश करते हुए कथन किया कि गैर सायल के विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान में वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब किसी भी प्रकार के अवैध शराब के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत के मुकदमा नम्बर 79/2020 में दिनांक 21.10.2020 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 2 वर्ष सदाचार व परिशान्ति हेतु पाबन्द किया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत के प्रकरण संख्या 197/2020 में दिनांक 23.12.2020 आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 1 वर्ष सदाचार व परिशान्ति हेतु पाबन्द किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह, जाति रावत, निवासी खोडिया थाना बगड़ीनगर, जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना बगड़ीनगर जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 24.05.2022 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रायपुर, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ीनगर जिला पाली, गैरसायल दिलीपसिंह पुत्र जैतसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रायपुर जिला पाली जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रायपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी बगड़ीनगर जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ीनगर एवं थानाधिकारी रायपुर, जिला पाली को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली